निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14 / 2023
दायरा दिनांकः–12.07.2023
निर्णय दिनांकः–15.07.2024

उनवान

1. साबुलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मंगल्या
2. रामभरोसी आयु 65 वर्ष पुत्री मंगल्या
3. जशोदा आयु 58 वर्ष पुत्र मंगल्या जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः–15.07.2024
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोक मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम बीलखेडा तहसील छबडा में खाता संख्या नई 179 पुरानी 101 खसरा नम्बर 94 / 8 रकबा 2.5293 है0 कृषि आराजीयात अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार कृषक है। मद नम्बर 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति बलाई दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के अन्य कागजात में जाति मेघवाल दर्ज है जमाबन्दी व अन्य राशन कार्ड आधार कार्ड व जन आधार कार्ड में जाति मेघवाल दर्ज होने से प्रार्थीगण को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व प्रधानमंत्री कृषक प्रोत्साहन राशि अभी प्रार्थी को प्राप्त नही हो रही है। तहसीलदार साहब से व हल्का पटवारी से अनैक बार मोखिक व लिखित निवेदन करने पर भी प्रार्थीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज नही की गई है एवं प्रार्थीगण को दिनांक 20.03.2023 को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का [illegible] दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने [illegible] के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बीलखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 179 फोटो प्रति आधार [illegible]बूलाल पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बीलखेडा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण खातेदार कृषक है उक्त आराजी में प्रार्थीगण की जाति बलाई दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में मेघवाल दर्ज है जमाबन्दी में जाति बलाई एवं अन्य दस्तावेजो में जाति मेंघवाल दर्ज होने से प्रार्थीगण को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व प्रधानमंत्री कृषक प्रोत्साहन राशि भी प्रार्थी को नही मिल रही है प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जाति बनाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बीलखेडा सम्वत 2073—76 खाता संख्या 179 में प्रार्थीगण की जाति बलाई दर्ज है प्रस्तुत फोटो प्रति आधार कार्ड साबूलाल पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में मेघवाल दर्ज नही है। इस संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्राथीगणों की जाति बलाई दर्ज है वादीगण अपनी जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवाना चाहते है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6 मार्च 1952 से विज्ञाप्ति जारी की गई थी राज्य सकरार द्वारा प्रशासन गांवो के संग कैम्प लगाकर अशोभनिय दर्ज नामों व जातियों को शुद्ध किया गया प्राथीगणों की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल शुद्ध जाति दर्ज करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बीलखेडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 94/8 रकबा 2.5393 है0 में दर्ज प्रार्थीगण की जाति बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:18 IST
Reason: SelfAttested